क्रम–संख्या–276

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टु पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 26 दिसम्बर, 2014

पौष 5, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1526/79-वि-1–14-1(क)-11-2014

लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 पर दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2014 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2014)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 2014 कहा जाएगा।

(2) यह 26 मई, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 31-ङ का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा 31-ङ में, उपधारा (1) में शब्द "भरा नहीं जा सकता है" के स्थान पर शब्द "भरा नहीं जा सका रख दिए जाएंगे।

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2014 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2014

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

मानदेय अध्यापकों को आमेलित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1980) की धारा 31-ङ को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, सन् 2006) द्वारा संशोधित किया गया था। यथासंशोधित धारा 31-ङ की उपधारा (1) में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि धारा 12 और 13 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अधीन यदि कोई रिक्ति विद्यमान है जिसे उक्त धारा के उपबन्धों के अधीन भरा नहीं जा सकता है तो मानदेय अध्यापक को आमेलित किया जायेगा। चूँकि यह पाया गया कि कोई ऐसी रिक्ति नहीं थी जिसे धारा 12 और 13 के अधीन भरा नहीं जा सकता है, अतएव मानदेय शिक्षकों को आमेलित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उक्त धारा 31-ङ की उपधारा (1) को संशोधित करके शब्द "भरा नहीं जा सकता है" के स्थान पर शब्द "भरा नहीं जा सका" प्रतिस्थापित कर दिया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 26 मई, 2014 को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3, सन् 2014) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस० बी० सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 1526(2)/LXXIX-V-1–14-1(ka)-11-2014
Dated Lucknow, December 26, 2014

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Uchchatar Shiksha Seva Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 2014) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 01, 2014.

THE UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION SERVICES COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 2014

(U. P. Act no. 22 of 2014)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 26, 2014.

Amendment of section 31-E of U.P. Act no. 16 of 1980

2. In section 31-E of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980, in sub-section (1) *for* the words "cannot be filled" the words "could not be filled" shall be *substituted*.

U.P. Ordinance no. 3 of 2014

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Ordinance, 2014 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASON

With a view to absorbing the teachers on honorarium section 31-E of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980 (U.P. Act no. 16 of 1980) was amended by the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Third Amendment) Act, 2006 (U.P. Act no. 42 of 2006). Sub-section (1) of section 31-E as amended *inter alia* provides that subject to the provisions contained in sections 12 and 13, if any vacancy exists, which can not be filled under the provisions of said section a teacher on honorarium shall be absorbed. Since it was found that there was no vacancy which can not be filled under sections 12 and 13, with the object of absorbing the teachers on honourium it was decided to amend sub-section (1) of the said section 31-E to replace the words ''can not be filled'' by the words ''could not be filled''.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Ordinance, 2014 (U.P. Ordinance no. 3 of 2014) was promulgated by the Governor on May 26, 2014.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S. B. SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 771 राजपत्र (हि0)–2014–(1628)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 101 सा0 विधा0–2014–(1629)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।